-1-

5 COURT FEE 5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 COURT FEE 10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R/1961-II/02

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ।

निगरानी क्रमांक /2002

अब्दुल हमीद पुत्र श्री अशरफ खाँ
जाति मुसलमान, आयु 70 वर्ष, निवासी -
चंदेरी तहसील व चन्देरी, जिला गुना
हॉल निवासी - 1369/92 हबीबगंज
भोपाल (म0प्र0) -- आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर
जिला गुना (म0प्र0) -- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-5-2002 जो अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा अपील क्रमांक 132/2001-2002 में पारित किया गया ।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, आवेदक की ग्राम चन्देरी में कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 992 रकबा 0.491 हेक्टर स्थित है, जिस पर वह पूर्व से ही कृषि कार्य करता चला आ रहा है ।

2- यह कि, आवेदक ने उक्त भूमि के उपयोग में कभी कोई परिवर्तन

...2

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1961–दो/2002 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ता०
2.11.16	यह निगरानी अति०आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 132/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–5–2002 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्वा चन्देरी के भूमि सर्वे नंबर 992 रकबा 0.491 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि लिखा है) के पड़त होने पर वर्ष 1985–86 से पुर्ननिर्धारण रू. 3039/– एंव प्रव्याजी 608/– कायम किया जाना राजस्व निरीक्षक चन्देरी ने प्रस्तावित किया, जिस पर से अधीक्षक डायवर्सन ने तदाशय की रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने आवेदक की सुनवाई कर प्रकरण कमांक 30 अ–2/1998–99 में आदेश दिनांक 29–6–99 पारित किया तथा वादोक्त भूमि पर वर्ष 1985–86 से पुर्ननिर्धारण करते हुये रू. 3039/– एंव प्रव्याजी 608/– प्रतिवर्ष कायम किया। अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 11/2000–01 अपील में आदेश दिनांक 29–9–2001 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के यहॉ आवेदक ने द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 132/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–5–2002 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी पेश हुई है। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़ एंव शासन के पैनल लायर की बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन	

किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि डायवर्सन उन भूमियों का किया जाता है जो पड़त हों एंव कृषि प्रयोग से हटकर अन्य प्रयोग में लाई गई हों, परन्तु वादोक्त भूमि में मौके पर कृषि होती है जिसके कारण उसे कृषि प्रयोजन से अन्य प्रयोजन की मानना गलत है। राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन एकपक्षीय है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को अपनी बात प्रमाणित करने का अवसर नहीं दिया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी का आदेश दिनांक 29–6–99 गलत आधारों पर है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर स्थल जॉच हेतु प्रकरण वापिस किया जावे।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि राजस्व निरीक्षक ने स्थल निरीक्षण के दौरान भूमि पड़त पाकर प्रतिवेदन दिया है जिस पर से एस0डी0ओ0 ने प्रकरण दर्ज कर आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया है किन्तु आवेदक यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि भूमि पड़त नहीं है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के आदेश दिनांक 29–6–99 के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश के प्रथम पद में इस प्रकार अंकित किया है :–

" प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट, आपत्ति जबाब व अधीक्षक भू अभिलेख डायवर्सन शाखा का पुर्ननिर्धारण प्रतिवेदन देखा गया। "

उपरोक्त से प्रमाणित है कि अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने आवेदक को सुनवाई का एंव आपत्ति प्रमाणित करने का अवसर दिया है किन्तु आवेदक स्वयं व्दारा प्रस्तुत आपत्ति को प्रमाणित नहीं कर सका है एंव मौके पर भूमि पड़त पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने आदेश दिनांक 29–6–99 से पुर्ननिर्धारण किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 29–9–2001 में तथा अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 9–5–2002 में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा की कार्यवाही को उचित मानकर हस्तक्षेप नहीं किया

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ............

प्रकरण कमांक 1961–दो/2002 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता०
	है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती पाये गये है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 132/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–5–2002 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है। सदस्य	